

# राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गांधी विधा भवन, द्वितीय तल, शिक्षा संकुल  
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं. 0141-2715518, Email :- rajssa\_gender@yahoo.co.in, girlseducationmsa@gmail.com

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/बा.शि./मीना गतिविधि /2018-19/237

दिनांक : 5/4/2019

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं  
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,  
समग्र शिक्षा अभियान,  
समस्त जिले।

विषय - मीना-राजू मंच, गार्गी मंच का पुनः गठन एवं क्रियान्वयन के दिशा निर्देशों के संबंध में।

संदर्भ - बालिका शिक्षा नवाचारी दिशा निर्देश दिनांक 04.10.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि सत्र 2018-19 में जारी पूर्व दिशा निर्देशों की के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय से वंचित बालक-बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने, ठहराव में वृद्धि, सामाजिक सरोकार बढ़ाने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से सत्र 2019-20 में नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत आपके अधीनस्थ प्रत्येक राजकीय उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के लिए पूर्व में गठित कक्षा 6-8 में मीना-राजू मंच एवं कक्षा 9-12 में गार्गी मंच का संचालन नियमित करवाया जाना है।

सत्र पर्यन्त की गतिविधियों का संचालन करने के उद्देश्य से संलग्न दिशा-निर्देश अनुसार मीना मंच गठन एवं सफल क्रियान्वयन की सूचना प्रति तिमाही एवं निर्धारित विशेष दिवसों पर की गई गतिविधियों की ब्लॉकवार प्रगति रिपोर्ट से परिषद कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : दिशा-निर्देश।



(हरभान मीणा)

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-2


क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/बा.शि./ मीना गतिविधि /2018-19/237

दिनांक : 5/4/2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1 निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक-प्रथम/द्वितीय, राज0 स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 4 निजी सहायक, नियंत्रक वित्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 5 समस्त उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 6 अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिलों को भेजकर लेख है कि उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करावें।
- 7 समस्त सीबीईओ समस्त जिले।
- 8 समस्त राजकीय उ.प्रा./मा.वि./उ.मा.वि., समस्त जिले।
- 9 रक्षित प्रतिलिपि



  
उपायुक्त-VI  
बालिका शिक्षा